

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 632/2010/जयपुर

अपील संख्या - 633/2010/जयपुर

मैसर्स टाटा इंजिनियरिंग एण्ड  
लोकोमोटिव कम्पनी लि.,  
(नया नाम- मैसर्स टाटा मोटर्स लि.)  
जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-वृत्त तृतीय,  
जयपुर

.....प्रत्यर्थी

### खण्डपीठ

श्री नथूराम, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

### उपस्थित :

श्री हेमचन्द्र कुमावत, अभिभाषक  
(श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक के लिये)

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के. बैद  
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/03/2018

### निर्णय

1. यह दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 260 एवं 206/आरएसटी/1997-98 में पारित आदेशों दिनांक 30.03.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 29/10(4) के अन्तर्गत पारित आदेशों में निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखते हुए जो दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गई हैं, को विवादित किया गया है। प्रस्तुत अपीलों में विवादित मांग राशियों का विवरण निम्नांकित तालिकानुसार है :-

अपील संख्या	अवधि वर्ष 2006-07	क. नि. आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि
632/10	1994-95	28.08.1997	5,90,175	2,95,087	10,00,000	18,85,262
633/10	1995-96	21.03.1998	2,070	1,400	4,140	7,610

201-

अपीलीय आदेश दिनांक 30.03.2010 में निर्णीत कतिपय बिन्दुओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गई थी (अपील सं. 2066 एवं 2067/2010/जयपुर) जो निर्णय दिनांक 29.08.2013 के द्वारा निर्णीत की जा चुकी है, परन्तु प्रस्तुत दोनों अपीलें जो कि संदर्भित अपील निर्णयों के विरुद्ध ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पेश की गई थी, वे संभवतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों के साथ tag होने से रह गई जिस कारण से इनका निर्णय विभाग की अपीलों के साथ नहीं किया जा सका। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत इन दोनों अपीलों की सुनवाई की जाकर इन पर निर्णय अब किया जाता है।

2. प्रस्तुत दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।
3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में स्कूटर परिवहन हेतु प्रयोगार्थ ट्रक बॉडीज की खरीद क्रमशः रूपये 59,01,750 एवं 2,07,000 की घोषणा पत्र ST-17 के समर्थन में बिना कर चुकाये पुनः बिक्री हेतु की गयी है एवं जिसके क्रम में फॉर्म ST-17 विक्रेता फर्म को जारी किये गये, परन्तु अपीलार्थी द्वारा उक्त ट्रक बॉडीज को चैसिस पर mount करके मोटर स्वीकल के रूप में विक्रय कर दिया गया तथा चैसिस एवं ट्रक बॉडीज को मिलाकर बेचे गये मोटर वाहन पर 4 प्रतिशत से कर अदा किया गया है। इस प्रकार घोषणा पत्र एसटी 17 के समर्थन में जो खरीद की गयी थी उसका उपयोग घोषित प्रयोजन के लिये नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण आदेशों क्रमशः दिनांक 28.08.97 तथा 21.03.98 द्वारा मोटर बॉडीज की कुल खरीद पर 10 प्रतिशत से क्रय कर, ब्याज एवं घोषणा पत्र ST-17 का दुरुपयोग करने के कारण धारा 61(1)(के) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया।
4. वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 हेतु पारित उक्त निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उक्त दोनों अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 30.03.2010 द्वारा कुछ अन्य बिन्दुओं पर अपील स्वीकार की गई परन्तु प्रस्तुत अपीलों में विवादित कर, ब्याज एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा मैसर्स सांघी इंजीनियर्स, जयपुर को चैसिस दिये जाकर चैसिस के ऊपर स्कूटर कैरियर बॉडी का निर्माण कर mount करने का आदेश दिया गया था, जिसके तहत मैसर्स सांघी इंजीनियर्स, जयपुर द्वारा उक्त स्कूटर कैरियर बॉडी

31

का निर्माण कर उन्हें घोषणा पत्र-17 के समर्थन में पुनः विक्रयार्थ शून्य कर दर पर बिक्री घोषित की गयी। उक्त बॉडीज को चैसिस पर mount किये जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा एक समेकित मोटर वाहन के रूप बिक्री की गई है अतः उक्त स्कूटर कैरियर ट्रक बॉडी की बिक्री चैसिस के साथ हो जाने से राज्य में इसके पुनः विक्रय पर देय कर प्राप्त हो गया है। उनका यह भी कथन है कि चूंकि घोषणा के अनुरूप माल की बिक्री कर दी गई है, अतः आरोपित क्रय कर, ब्याज व शास्ति अपास्त किये जाने योग्य है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, ई-प्रथम बनाम राजेश मोटर्स एवं अन्य के प्रकरण में दिये गये निर्णय (1997) 107 STC 468 को उद्धरित करते हुए बताया कि चैसिस पर मोटर बॉडी को mount करना निर्माण कार्य नहीं है क्योंकि मोटर बॉडी को नट व बोल्ट से फिट किया जाता है तथा उसको अलग भी किया जा सकता है, जिसके कारण चैसिस पर मोटर बॉडी को mount करना निर्माण कार्य नहीं माना गया है एवं उस पर क्रय कर की कोई देयता नहीं होना निर्धारित किया गया है। इसी के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा धारा 61(1)(के) के तहत आरोपित शास्ति को भी माननीय टैक्स बोर्ड के निर्णय मैसर्स एस.एच. गुलाम अली मोहम्मद हनीफ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी नागौर (1982 आरआरडी 389) के अनुसार अविधिक होना बताया।

7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो खरीद घोषणा पत्र एसटी-17 के समर्थन से की गई है तथा खरीदे गये माल Truck Bodies for carrying Scooters को चैसिस के साथ जोड़कर विक्रय किया गया है अतः इससे घोषणा पत्र एसटी-17 की शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये :-

1. CTO Vs Suzuki Textiles Limited: 12 TUD 342 (RTB)
2. Mehta Opticians Vs ACTO: 1 STO 406 (RHC)
3. Bharat Saw Mills Vs CST MP: 91 STC 584 (MP HC)
4. CTO Vs Vishwakarma Engg. Works: 13 TUD page 11 (RHC)
5. State of Maharashtra Vs Shiv Datt & Sons: (1992) 84 STC 497 SC
6. Azad Coach Builders Pvt. Ltd. Vs State of Karnataka: 123 STC 473 (Kar. HC)

8. उन्होंने वैकल्पिक तर्क यह भी दिया कि यदि अपीलार्थी द्वारा खरीदे गये माल को चैसिस के साथ विक्रय करने को घोषणा पत्र की शर्तों के अनुरूप पुनर्विक्रय नहीं माना जाता है तो उसे विनिर्माता मानते हुए इस माल को कच्चे माल के रूप में रियायती दर पर खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये।
9. धारा 16(1)(के) के अंतर्गत आरोपित शास्ति के बारे में उन्होंने बताया कि उनका करवंचना का कोई भी इरादा नहीं था तथा ये सभी संव्यवहार लेखा पुस्तकों में विधिवत रूप से दर्ज एवं घोषित है, अतः शास्ति आरोपण अनुचित व

3)

अविधिसम्मत बताते हुए इसे अपास्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने वर्ष 1994-95 हेतु अपीलार्थी को अस्थायी कर निर्धारण के समय जारी नोटिस दिनांक 05.05.1997 की छायाप्रति पेश करते हुए यह विशेष उल्लेख किया कि इसके बिन्दु संख्या (2) में धारा 16(1)(ई) के अंतर्गत शास्ति का आरोपण प्रस्तावित किया गया है परन्तु कर निर्धारण आदेश में शास्ति धारा 16(1)(के) के अंतर्गत आरोपित की गई है। अतः उन्होंने शास्ति आरोपण को अविधिसम्मत बताते हुए इसे अपास्त करने की प्रार्थना की। इसके अतिरिक्त RST Act, 1994 की धारा 16(1)(k) के अंतर्गत कोई शास्ति आरोपण नहीं किये जा सकने के संबंध में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये:-

1. Neeraj Grinding Industries Vs. ACTO: (2001) 12 STO 330 (RTB)
2. CTO Vs Birla Corporation Limited: (2004) 36 RTJS 86 (RTB)
3. Jain Mahaveer Oil and Masala Chakki Vs ACTO: (1978) 1 RTJS 173 (STT)
4. CTO Vs Mundra Udyog: (2004) 10 TUD 57

अपीलार्थी ने अपने इन अभिकथनों के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित दोनों आदेश दिनांक 30.03.2010 को अपास्त करने तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों स्वीकार करने का निवेदन किया।

10. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माल जिस स्वरूप में खरीदा गया था उसी रूप में नहीं बेचा गया, अतः घोषणा पत्र एसटी-17 के समर्थन में जो क्रय किया गया है उस पर निर्धारित की गई क्रय कर की देयता पूर्णतया उचित है। साथ ही उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी चूंकि विनिर्माता नहीं है अतः प्रश्नगत माल रियायती दर पर खरीदने का भी हकदार नहीं है। उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।
11. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। अपीलार्थी जो कि ट्रक चैसिस निर्माता कम्पनी की सेल्स ब्रांच है, द्वारा कम्पनी से ट्रक चैसिस मंगवाकर इनका राज्य में विक्रय किया जाता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरणों में अपीलार्थी को स्कूटर ट्रांसपोर्ट करने हेतु विशिष्ट बॉडी वाले वाहनों की सप्लाई के आदेश प्राप्त होने पर उसने Scooter carrying truck bodies का निर्माण कार्य M/s सांघी इंजीनियर्स, जयपुर से करवाया तथा ऐसी truck bodies का क्रय घोषणा पत्र ST-17 के समर्थन से राज्य में पुनः विक्रयार्थ करना घोषित किया। अपीलार्थी द्वारा चैसिस तथा उस पर mounted bodies का विक्रय मोटर वाहन के रूप में 4 प्रतिशत कर वसूलते हुए किया गया। उल्लेखनीय है कि आलोच्य अवधि में ट्रक बॉडीज की कर दर विशिष्ट रूप से अधिसूचित नहीं थी, अतः इन पर residuary rate i.e. 10% से बिक्री कर देय था। चूंकि अपीलार्थी द्वारा पुनर्विक्रयार्थ खरीदे गये माल truck bodies की बिक्री नहीं की गई थी, अपितु Chassis तथा उस पर mounted body के साथ ही इसकी

समेकित रूप से एक मोटर वाहन की बिक्री की गई, अतः निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र ST-17 के समर्थन में क्रय की गई Scooter carrying truck bodies की राज्य में पुनः बिक्री नहीं किये जाने पर इसे घोषणा पत्रों के दुरुपयोग का प्रकरण मानते हुए @ 10% क्रय कर, उस पर ब्याज तथा घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर धारा 16(1)(k) के अंतर्गत शास्ति का आरोपण किया।

12. इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की सम्बन्धित धाराओं 4 एवं 11 का अध्ययन करना आवश्यक है। धारा 4 के उद्ग्रहण एवं इसकी दर से सम्बन्धित है जो निम्नानुसार हैं:-

**"4. Levy of tax and its rate.-** (1) Subject to the other provisions of this Act and the provisions of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act 74 of 1956), the tax payable by a dealer under this Act, shall be at single point in the series of sales by successive dealers, as may be prescribed and shall be levied at such rates not exceeding fifty per cent on the taxable turnover, as may be notified by the State Government in the Official Gazette.

(2) Where any goods are sold packed in some material, whether charged for separately or not, notwithstanding anything contained in sub-section (1), the tax liability of and the rate of tax on the packing material shall be according to the tax liability of and the rate of tax on the goods packed therein.

13. इसी प्रकार क्रय कर का उद्ग्रहण किये जाने सम्बन्धी प्रावधान धारा 11 के सन्निहित हैं, जो निम्नानुसार है :-

**11. Levy of purchase tax.-** (2) Where any dealer has purchased any goods, otherwise than under the provisions of section 10, without paying any tax or after paying tax at concessional or reduced rate of tax on the strength of any declaration furnished by him under the Act, the purchase price of such goods shall be included in his taxable turnover and such dealer shall be liable to pay tax with interest at the same rate which would have been leviable on the sale price of such goods under sections 4 and 12, except in a case where such dealer satisfies the assessing authority that the said goods have been utilised for the purpose mentioned in the declaration from."

14. घोषणा पत्र एसटी 17 के समर्थन में माल खरीदे जाने के सम्बन्ध में राजस्थान बिक्री कर नियम, 1995 के नियम 23 में प्रावधान दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में नियम 23(1)(a) निम्नानुसार उल्लिखित है :-

"Furnishing of declaration forms for claiming concessions.-  
(1) (a) A dealer, who claims exemption from payment of tax or payment of tax at a concessional rate or non-liability to pay tax, on the sales made to a registered dealer of goods (i) for resale within the State; or (ii) for sale in the course of inter-State trade or commerce; or (iii) for being used as raw material under sub-section (1) of section 10; or (iv) for being used as processing articles under sub-section (3) of section 10; or (v) for being used or disposed off in accordance with any condition specified in a notification; shall obtain a declaration form from the purchasing dealer in form ST 17 duly filed in and signed, and shall furnish all such declaration forms to his assessing authority."

15. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या F.5(118)FD Gr IV/71 दिनांक 01.12.1986 जारी की गई, जो निम्न प्रकार है :-

"In pursuance of rule 15 of the RST Rules 1955, and in supersession of FD notf No. F.5(40)FDRT/63-2 dated 23.03.1963, as amended from time to time, the State Govt. hereby directs that with immediate effect the tax payable under section 5 of the Act on the sale of goods manufactured in Rajasthan by any manufacturer holding a certificate of registration under the Act shall be at the following points, namely:-

(a) When sale is made by such manufacturer to (1) an unregistered dealer, (2) a consumer, (3) a registered dealer for purposes other than sale within the State or sale in the course of inter-State trade or commerce, or (4) a registered dealer who is entitled to claim exemption under S.4(2) of the Act on the sale of such goods within the State, at the point of sale by the manufacturer himself; and

(b) When sale is made by such manufacturer to a registered dealer for purposes of sale within the State, whether or not to a deptt. Of the State or Central Govt., on which tax under the Act either at full rate or otherwise or at the rate according to sections 5C and 5CC of the Act is paid, or sale in the course of inter-State trade or commerce on which tax under the CST Act, 1956, is paid, at the point of sale by such registered dealer on the condition that he undertakes to pay such tax and a declaration, which shall be furnished to the AA to that effect in form ST 17 prescribed under the rules is obtained by such manufacturer from such registered dealer."

31

\* उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना यद्यपि RST Act, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी की गई थी परन्तु RST Act, 1994 लागू होने के पश्चात् इसे आलोच्य अवधि तक विखण्डित या विलोपित नहीं किया गया था, अतः यही अधिसूचना RST Act, 1994 के लिये भी प्रचलन में रही।

16. इस प्रकार धारा 4 एवं 11, नियम 23 तथा अधिसूचना दिनांक 01.12.1986 के समेकित पठन (Conjoint reading) से यह स्पष्ट रूप से अभिलक्षित होता है कि विनिर्माता द्वारा पंजीकृत व्यवहारी को राज्य के भीतर बिक्री किये जाने हेतु जो विक्रय किया जाता है उस माल पर "ऐसा कर" (such tax) चुकाने हेतु वह पंजीकृत व्यवहारी स्वयं उत्तरदायित्व लेगा तथा घोषणा पत्र ST-17 कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अधिसूचना दिनांक 01.12.1986 के क्लॉज (b) को इस प्रयोजनार्थ abstract form में इस प्रकार पढ़ा जाता है :-

*(b) When sale is made by such manufacturer to a registered dealer for purposes of sale within the State, .....  
at the point of sale by such registered dealer on the condition  
that he undertakes to pay such tax and a declaration, which  
shall be furnished to the AA to that effect in form ST 17  
prescribed under the rules is obtained by such manufacturer  
from such registered dealer."*

यहाँ 'such tax' से आशय विनिर्माता से क्रय किये गये माल पर देय कर से है। प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी द्वारा मोटर बॉडी का क्रय किया गया है, अतः अधिसूचना के उपबन्ध के अनुसार उसे इसी माल पर देय कर का भुगतान करना होगा। चूंकि अपीलार्थी द्वारा इस माल की बिक्री नहीं की जाकर इस पर कोई कर नहीं चुकाया गया, अपितु एक समेकित मोटर वाहन की बिक्री की गई है, अतः अधिसूचना की शर्त का पालन नहीं होने से इस पर धारा 11 के अधीन क्रय कर का दायित्व निर्धारण विधि सम्मत है।

17. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमार मोटर्स, बरैली बनाम बिक्री कर आयुक्त, उ.प्र. का निर्णय प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतः लागू होता है। साथ ही माननीय बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं अपीलार्थी के प्रकरण में दिया गया निर्णय (1995) 98 STC 330 भी समान तथ्यों पर आधारित होने से प्रस्तुत प्रकरण में लागू होता है। अतः यह अवधारित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जो "truck bodies for carrying scooters" विनिर्माता मैसर्स सांघी इंजीनियर्स, जयपुर से घोषणा पत्र एसटी 17 के समर्थन से पुनः विक्रयार्थ क्रय की गई थी एवं इसी माल की पुनः बिक्री नहीं की जाकर उसे मोटर वाहन के चैसिस के साथ फिट करवाकर बेचा है, अतः अपीलार्थी द्वारा खरीदे गये आइटम्स की पुनः बिक्री नहीं की गई है, अतः इस माल "truck bodies for carrying scooters" के विक्रय पर कोई बिक्री कर प्राप्त नहीं होने से इस पर धारा 11 के प्रावधान आकर्षित होते हैं।

४३-

18. हस्तगत प्रकरणों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमार मोटर्स, बरेली बनाम आयुक्त बिक्री कर, उ.प्र. (2007) 17 टैक्स अपडेट 157 का निर्णय उल्लिखित करना सारगर्भित है, जो कि निम्नानुसार है :-

*"The requirement of law, thus, is that goods once sold to a registered dealer must be sold in the same form and condition in which he had purchased. We have no doubt in our mind that the sales made by the assessee of chassis with mounted body would be selling a product which is in different condition from the chassis or the body, and, thus, the same would be liable to purchase tax under sub-section(a) of Section 3-AAAA of Act."*

19. इसी प्रकार बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं अपीलार्थी के प्रकरण— टाटा इंजिनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी लि. बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1995) 98 STC 330, जिसके कि तथ्य प्रस्तुत प्रकरण से मिलते जुलते थे, में यह निर्णीत किया गया है कि घोषणा पत्रों की शर्तों के उल्लंघन पर क्रय कर आरोपणीय है। इस प्रकरण में अपीलार्थी जो कि बस चैसिस का निर्माता था, द्वारा बस बॉडीज घोषणा पत्र के समर्थन में पुनर्विक्रयार्थ बिना कर चुकाये खरीद की गई तथा इन्हें चैसिस पर फिट करके समेकित या पूर्ण बस की बिक्री की गई। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया है कि:-

*"In fact, though the assessee purchased "bus body", it did not sell the same. What was sold by it was a complete bus, the "body" purchased by it being merely one of the components of bus sold by it. In such a case, it cannot be said that there was sale of the component, i.e., bus bodies. Neither the customer intended to purchase the bus body nor the assessee intended to sell the same. What was sold by the assessee and purchased by the purchaser in Egypt was a commodity known as "bus", complete in all respects and the consideration paid by the purchaser was also fixed for each unit of "the complete bus".*

*In view of the above, we are of the clear opinion that the assessee did not sell the bus bodies which it had purchased free of tax under declaration in form No. 14. What was sold by it was a different commodity altogether and hence there was clear non-compliance of the conditions of form 14. The authorities were, therefore, justified in holding that section 14 was attracted and in levying purchase tax on the basis thereof."*

3

25/-

20. अपीलार्थी द्वारा भी चैसिस ब्रांच ट्रांसफर के रूप में प्राप्त किया गया है तथा Truck Bodies for carrying Scooters फॉर्म एसटी-17 पर पुनः विक्रयार्थ खरीदकर उसे चैसिस पर mount करने के पश्चात् मोटर वाहन के रूप में बिक्री की गई है। अपीलार्थी द्वारा Truck Bodies for carrying Scooters की इसी स्वरूप में कोई बिक्री नहीं की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में फॉर्म एसटी 17 में की गयी घोषणा का पालन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त खरीदे गये माल पर क्रय कर व ब्याज का दायित्व अपीलार्थी का बनता है जिसके आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा Truck Bodies for carrying Scooters की कुल खरीद पर जो 10 प्रतिशत से क्रय कर एवं ब्याज आरोपित किया गया है वह पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। लिहाजा आरोपित क्रय कर व ब्याज की पुष्टि की जाती है।
21. अपीलार्थी की ओर से राजस्थान टैक्सेशन ट्रिब्यूनल द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम राजेश मोटर्स एवं अन्य के प्रकरण में दिये गये निर्णय के प्रकाश में उसके द्वारा खरीद की गई ट्रक बॉडीज़ को चैसिस पर माउन्ट करके मोटर वाहन के रूप में बेचने पर घोषणा पत्र एसटी 17 की शर्तों का उल्लंघन नहीं होना बताया गया है। साथ ही उन्होंने अन्य उद्धरित निर्णयों के प्रकाश में शून्य दर पर यह खरीद किया जाना विधिसम्मत बताया है। अपीलार्थी द्वारा जिन न्याय दृष्टांतों का उल्लेख किया गया है उनका सम्मानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि उनमें से उद्धरित किये गये lead case - राजेश मोटर्स के प्रकरण (1997) 107 STC 468 में Rajasthan Taxation Tribunal द्वारा दिये गये निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमार मोटर्स, बरेली (2007) 17 Tax Update 157 के प्रकरण में दिये गये निर्णय में explicitly over rule कर दिया गया है तथा उस निर्णय में अभिनिर्धारित की गई विधि को सही नहीं माना है। उक्त निर्णय का सन्दर्भित निर्णयांश निम्न प्रकार है:

*"14. The decision of the Rajasthan Taxation Tribunal in Rajesh Motors (supra) in our opinion does not lay down the correct law. In that case the Tribunal proceeded on a wrong premise that on removal of nuts and bolts fixed the chassis and body would get separated and the original position would be restored without their change in the structure, nature and identity. It was, in our opinion, not a relevant question. Tax is payable when the taxable event occurs. In construing a taxing statute, vis-'vis, the taxable event, no hypothesis ordinarily should be raised.*

*15. A commodity is identified by ordinary commercial parlance. Auto rickshaw is an auto rickshaw. It can be sold only as a combination of chassis and the body mounted*

*thereupon, and not body or chassis separately. If it is so done, consequences may be different."*

अतः उक्त दृष्टांत का अवलम्ब अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं हो सकता है। साथ ही अन्य सन्दर्भित प्रकरणों के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इन्हें लागू किया जाना संभव नहीं है।

22. जहां तक अपीलार्थी के वैकल्पिक तर्क का प्रश्न है कि यदि उसे घोषणा पत्र एसटी 17 के विरुद्ध पुनर्विक्रयार्थ की गई उक्त खरीद को मान्य नहीं किया जाता है तो उसे एक विनिर्माणकर्ता के रूप में उक्त माल रियायती दर पर खरीदे जाने की अनुमति दी जानी चाहिये, के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा कोई विनिर्माण कार्य किया जाना नहीं पाया गया है तथा न ही अपीलार्थी ने अपना पंजीयन एक विनिर्माणकर्ता के रूप में करवाया है, अतः अपीलार्थी का यह कथन मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि घोषणा पत्र एसटी 17 से जो माल खरीदा गया है वह एक विनिर्माणकर्ता के रूप में खरीद करने हेतु वह अधिकृत है। उल्लेखनीय है कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा मोटर वाहनों की बिक्री की जाती है तथा प्रस्तुत प्रकरणों में मोटर वाहनों के चैसिस के साथ में स्कूटर परिवहनित करने हेतु विशिष्ट मोटर बॉडी साथ में mount करने के पश्चात् मोटर वाहन के रूप में विक्रीत की गई है, अतः इसमें अपीलार्थी द्वारा विनिर्माण जैसी कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। अतः यह अवधारित किया जाता है कि अपीलार्थी विनिर्माता के रूप में घोषणा पत्र एसटी 17 के समर्थन में रियायती दर पर कच्चा माल खरीदने हेतु अधिकृत नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि वह राज्य में 'विनिर्माता' के रूप में पंजीकृत है। अतः अपीलार्थी द्वारा न तो कोई विनिर्माण कार्य किया गया है एवं न ही वह विनिर्माता के रूप में पंजीकृत है, अतः विनिर्माता के रूप में रियायती दर पर माल खरीदने की पात्रता सम्बन्धी अपीलार्थी का यह वैकल्पिक कथन अस्वीकार किया जाता है।
23. जहां तक धारा 16(1)(k) के अंतर्गत शास्ति आरोपण का प्रश्न है, के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करने पर पाया कि अस्थाई कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो टंकित नोटिस दिनांक 05.05.1997 को जारी किया गया है, उसमें मूलतः शास्ति आरोपण धारा 16(1)(e) के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था जो कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस में इसमें correction कर '(ई)' के स्थान पर overwriting कर '(के)' किया जाना स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है। इस नोटिस के बिन्दु सं. (2) में यह उल्लिखित है कि "(2) वर्ष (sic रूपये) 59,01,750=00 की खरीद पर उपरोक्तानुसार देय कर के दायित्व को बिक्री विवरण—पत्रों में छिपाने के कारण अधिनियम की धारा 16(1)(ई) में शास्ती क्यों नहीं आरोपित की जावे।", अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि मूलतः शास्ति आरोपण धारा 16(1)(ई) के तहत ही प्रस्तावित किया गया था। इस सम्बन्ध में शास्ति प्रावधानों की स्पष्टता हेतु

3)

1954 के अधिनियम की धारा 16(1)(इ) तथा 16(1)(के) के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना समीचीन है एवं इस प्रयोजनार्थ इन प्रावधानों की भाषा तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार पुनरुल्लिखित हैः—

Section 16(1)(e)	Section 16(1)(k)
"has concealed any particulars from any return furnished by him or has deliberately furnished inaccurate particulars therein;"	"after purchasing any goods in respect of which he has made a declaration under the provisions of this Act or rules made thereunder, fails without reasonable cause to make use of the goods for the declared purposes, or"

24. अतः वर्ष 1994–95 के अस्थाई कर निर्धारण तथा अन्तिम कर निर्धारण के समय जारी नोटिसों के अवलोकन तथा अधिनियम/नियमों के सम्बन्धित प्रावधानों के परिशीलन पश्चात यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि वर्ष 1994–95 के अस्थाई कर निर्धारण हेतु जारी नोटिस में बिन्दु सं. (2) की यथा प्रस्तावित विषयवस्तु से धारा 16(1)(k) के अंतर्गत शास्ति आरोपण कदापि नहीं किया जा सकता है। अंतिम कर निर्धारण के समय भी धारा 16(1)(k) का कोई विशिष्ट नोटिस नहीं था, अपितु इस प्रयोजनार्थ जारी नोटिस दिनांक 13.08.1987 में अस्थायी कर निर्धारण को अंतिम कर निर्धारण में समाहित करने के प्रस्ताव का उल्लेख मात्र किया गया है। अतः शास्ति आरोपण की कार्यवाही void ab-initio होने के कारण आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है। यद्यपि वर्ष 1995–96 के कर निर्धारण आदेश में आरएसटी एक्ट, 1994 की धारा 64 का स्पष्ट उल्लेख है तथापि कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स डी.के. ग्वार उद्योग बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (28 टैक्स वर्ल्ड पेज 500) तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मून्डडा उद्योग (10 टैक्स अपडेट पेज 57) के निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि फॉर्म एसटी 17 का दुरुपयोग जानबूझकर एवं कर चोरी की मंशा से नहीं किया गया हो तो सद्विश्वास के आधार पर उक्त घोषणा पत्र का अनाधिकृत उपयोग किया गया हो तो शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है, अतः वर्ष 1995–96 हेतु आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।
25. उपरोक्त विवेचनानुसार कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की जाती हैं तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की जाती हैं।
26. परिणामतः प्रस्तुत अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती हैं।
27. निर्णय प्रसारित किया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)  
 सदस्य

सदस्य